संख्या-264/2025/235के-2/22-3-2024-17(501)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023) दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी पुत्र श्री रामनाथ, जो 160/2, विजय नगर, थाना-काकादेव, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 30.05.2005 को दारू के पैसे न देने के कारण बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट व तमंचे से गोली मारकर आशीष उर्फ मिन्टू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-735, 736/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25/27 आर्म्स एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा अ0सं0-07/2003 के अन्तर्गत धारा-21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा 12 माह के कारावास से दण्डित किया गया है एवं अ0सं0-150/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-379, 411, में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2022 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.04.2023 तक बंदी की आयु 41 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्यपूर्ण होने, पैरोल/गृह अवकाश की अवधि में आचरण ठीक नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 30.05.2005 को दारू के पैसे न देने के कारण बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट व तमंचे से गोली मारकर आशीष उर्फ मिन्टू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी पुत्र श्री रामनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी (बंदी संख्या-2119/2009) पुत्र श्री रामनाथ, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-264/2025/235 के-2/22-3-2024-17(501)/2024

दिनांक 14 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी पुत्र श्री रामनाथ, जो 160/2, विजय नगर, थाना-काकादेव, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 30.05.2005 को दारू के पैसे न देने के कारण बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट व तमंचे से गोली मारकर आशीष उर्फ मिन्टू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-735, 736/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25/27 आर्म्स एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा अ0सं0-07/2003 के अन्तर्गत धारा-21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा 12 माह के कारावास से दण्डित किया गया है एवं अ0सं0-150/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-379, 411, में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2022 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.04.2023 तक बंदी की आयु 41 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने के दृष्टिगत कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्यपूर्ण होने, पैरोल/गृह अवकाश की अवधि में आचरण ठीक नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 30.05.2005 को दारू के पैसे न देने के कारण बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईट व तमंचे से गोली मारकर आशीष उर्फ मिन्टू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नन्दकिशोर उर्फ भूरी पुत्र श्री रामनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in